ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या 25 Year वर्ष 2020

सरकार Versus बनाम वेदप्रकाश आदि

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	2	3
30/10/25	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अशोक बर जमानत उपस्थित। अभियुक्त वैदप्रकाश, सोनू, प्रवीण, दिलीप, संतराम, आशा, राजेश देवी व माया देवी अनुपस्थित। आज की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। अपर लोक अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 294 सीआरपीसी व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता अभियुक्तगण को दिलाई गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण जवाब पेश ना कर सीधी बहस करना चाहते है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। **प्रार्थना अन्तर्गत धारा 294 सीआरपीसी** दौरान बहस अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज जिसमें एफएसएल का अग्रेषण पत्र व उससे सम्बन्धित दस्तावेज उक्त पत्रावली में सन्लग्न नहीं है जो की मूल पत्रावली एसपी ऑफिस से प्राप्त किएं गए हैं जो इस प्रकरण में अत्यावश्यक है अतः उन्हे रिकोर्ड पर लिया जावे। दोरान बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया की उक्त दस्तावेज सत्यप्रतिलिपियां हैं असल दस्तावेज नहीं है और विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेज उक्त प्रकरण में जप्त शुदा आर्टिकल्स को एफएसएल में भेजे जाने वाले आर्टिकल्स के अग्रेषण पत्र की सत्यप्रतिलिपि है। जो की पुलिस उपअधिक्षक द्वारा उनकी पत्रावली से पेश की गई है। जो की आवश्यक प्रकृति के दस्तावेज हैं। व न्यायालय के न्याय निर्णय के लिए आवश्यक हैं। उन्हे केवल विलम्ब के आधार पर नहीं रोका जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाता है। **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी** बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी सुनी गई। दोराने बहस अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त प्रकरण में एफएसएल टीम द्वारा दौराने अन्वेषण मौके का निरक्षण किया गया था व मौके से फोटोग्राफ लिए गए। घटनास्थल पर मिले कांच के टुकडे जिन पर रक्त पाया गया था व चप्पल जोडी भी पडी हुई थी, वाहन के टायरों के निशान भी पाए गए थे। उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जो की अनील कुमार द्वारा तैयार की गई है। परन्तु उक्त गवाह को सहवन से गवाह सूची में अनुसंधान अधिकारी ने नही रखा है। जो की इस प्रकरण में न्याय निर्णय के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गवाह को साक्ष्य सूची में जोडकर तलब किया जावे।	अशोक ललित मात नकल प्रकृत कुली अवस्था से प्राप्त किया। सुनिल कुमार 4358 P.S. केसरीसिंहपुर

अपर सेशन न्यायाधीश सं–1
(stamp)

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड़, जोधपुर 2623675, 2615421

इसके जवाब में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया की लक्षित पत्रावली होने के बावजूद अपर लोक अभियोजक द्वारा परिवादी पक्ष से मिलकर बार–बार प्रार्थना पत्र लगाए जा रहे हैं। जिससे उक्त प्रकरण अनावश्यक रूप से विलम्बित हो रहा है। उक्त गवाह को प्रारम्भिक स्तर पर क्यों नहीं जोडा गया इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। गवाह अनील कुमार द्वारा प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट तैयार किया जाना बताया गया है। जो की पत्रावली पर उपलब्ध है व इस पत्रावली के न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुतकार को लाल स्याही से उक्त गवाह का नाम अंकित किए जाने के आदेश किए जाते हैं। गवाह पीडब्लू 27 अंकेश कुमार के बयान लेखबद्ध किए गए। अपर लोक अभियोजक को हिदायत दी जाती है की उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणों में से एक है अतः शेष रहे गवाहों को अपने स्तर पर तलब करें। शेष सभी गवाहों को बेलेबल वारण्ट 10000 रूपए से तलब किया जावे। तामिल पर स्पष्ट रूप से नोट अंकित हो की टारगेट पत्रावली में उक्त गवाह अन्तिम गवाहान है तामिल हर सूरत में कराई जावे। अदम तामिल की सूरत में एसएचओ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित आवे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन/जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2025 को पेश हो।

30/10/25

अपर सेशन न्यायाधीश सं–1
टोडरी (राजस्थान)